बलात्कार

सरकार, क़ानून और समाज का रवैया

वीणा शिवपुरी

वह चीख़ी
उन्होंने कहा
शायद एक बेआवाज़ चीख थी
क्योंकि किसी ने नहीं सुनी

या शायद
हर किसी ने सुनी
पर अनसुनी कर दी।

अपराध का नंगा नाच

हर रोज़, हर घंटे औरतों व बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उन्हें मारापीटा और नोचा-खसोटा जा रहा है। पिछले एक साल के अखबार उठा कर ही देख लें तो सैंकड़ो मामले सामने आ जाते हैं। बड़े शहर की बस में बलात्कार, गांव के खेत में बलात्कार, क़स्बे की अदालत के अहाते में औरत को नंगा करना, कहां तक गिनाया जाए।

इतना ही नहीं, आठ दस साल की मुकदमेबाज़ी के बाद जब बलात्कारी छूट जाए या उससे सहानुभूति जता कर सर्वोच्च अदालत उसकी सज़ा कम कर दे तो सरकार, कानून और समाज का औरत के प्रति रवैया साफ़ हो जाता है। प्रगतिशीलता का दम भरने वाली सभी एजेंसियों के चेहरे से नक़ाब उतर जाती है और सामने आता है दोहरे मापदंड रखने, औरत को पैर की जूती समझने वाला पितृसत्तात्मक चेहरा।

कुछ मामले

— बाईस सितंबर '92 को राजस्थान की साथिन भंवरी बाई के बलात्कार को एक साल पूरा हो गया। अब तक बलात्कारियों को हथकड़ी भी नहीं पड़ी है। वे तो खुलेआम घूम रहे हैं और भंवरी बाई से गांववालों ने नाता तोड़ लिया है।

— मई '93 में सहारनपुर के नज़दीक एक गांव के राजू ने महिला समाख्या कार्यक्रम की एक सखी सत्तो के साथ बलात्कार किया। महिला समाख्या कार्यक्रम के दबाव के तहत राजू को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन ज़मानत पर छोड़ दिया।

— दस फरवरी को कर्नाटक में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई।

— चार अप्रैल को दो पुलिस अफ़सरों और एक पटेल ने मिल कर नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता बूदी बेन के साथ सामूहिक बलात्कार किया।

— सहारनपुर अदालत के अहाते में सैंकड़ो लोगों की नज़र के सामने ऊषा के कपड़े नोचकर उसे नंगा कर के घुमाया गया।

— फरवरी में दिल्ली से तेरह साल की एक बच्ची का अपहरण करके पैंतालिस दिन तक चार युवकों ने उसे अपने कब्ज़े में रखा। डेढ़ महीने तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया जाता रहा। अपराधी अब तक खुले घूम रहे हैं।

गहरा अंधेरा

ये कुछ मामले देख, पढ़, सुन कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश में औरतों के साथ होने वाले यौन अत्याचारों के प्रति सरकार, पुलिस, कानून और आम समाज का रवैया कितना घिसा पिटा और पुरातनपंथी है। पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल इन अपराधों की रिपोर्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे अपराधों में सज़ा अब भी सिर्फ़ पांच प्रतिशत मामलों में होती है।

पिछले कुछ दशकों में औरतों में चेतना का स्तर ऊपर उठा है। देश के सैंकड़ो महिला समूह अपने अपने इलाकों में ऐसे मामले उठाते हैं। पुलिस पर दबाव डालते हैं। आंदोलन करते हैं। फिर भी पितृसत्तात्मक एजेंसियों के रवैये में बदलाव आता दिखलाई नहीं पड़ रहा है।

भंवरी बाई का मामला एक तरह से मील का पत्थर माना जा सकता है। इस अपराध के घटने के एक महीने के भीतर पूरे भारत में महिला समूहों ने इस के ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार पर दबाव डाला। जयपुर में बहुत बड़ी रैली की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को उठाया और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। अख़बारों ने भी इस मामले पर पूरी रोशनी डाली।

देश के अधिकांश महिला समूहों, सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताक़त लगा कर अपराधियों को पकड़वाने को कोशिश की। फिर भी अगर सफलता नहीं मिली तो अन्य हज़ारों औरतों-लड़कियों को न्याय पाने की क्या आशा हो सकती है, जिन्हें ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता।

पुरुषवादी नज़रिया

1978 में इक्कीस साल की एक लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले में पंद्रह साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कारियों की जवानी पर रहम खाते हुए उन्हें सिर्फ़ तीन साल की सज़ा दी। इस फैसले ने न सिर्फ़ औरतों बल्कि सभी न्यायप्रिय लोगों में सनसनी फैला दी। अगर बलात्कारी कम उम्र के थे तो वह लड़की क्या थी!

अगर पिछले पंद्रह सालों में बलात्कारियों ने मानसिक दुख उठाया है तो उस लड़की के अपमान, शर्मिंदगी और पीड़ा की कोई सीमा थी?

यह बात साफ़ है कि न्याय पाने के सफ़र में औरत का जितनी एजेंसियों से पाला पड़ता है चाहे वह एक एफ.आई.आर. लिखने वाला थानेदार हो या सर्वोच्च न्यायालय की ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला जज, सबका नज़रिया और रवैया पितृसत्तात्मक है। जिसके तहत औरत की हैसियत और उसका दर्जा गिरा हुआ है। उसके साथ होने वाले अपराधों की गंभीरता कम है। ख़ासतौर पर यौन अपराधों में औरत को ही दोषी माना जाता है। औरत ने ही पुरुष को उकसाया, भड़काया होगा।

जब तक सरकार, कानून और आम समाज का रवैया औरत को इंसान मान कर उसके प्रति संवेदनशील नहीं होता, उसे न्याय नहीं मिल सकेगा। यह कहा नहीं जा सकता कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इन एजेंसियों का हिस्सा बनें तो कुछ बदलाव आएगा या नहीं, लेकिन ऐसी कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए। समाज के हर स्तर पर औरतों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति चेतना और संवेदना फैलाने के प्रयत्न होने चाहिए।

□